संख्या-48/2016/1144/35-3-2016-1(51)/2015

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 08 जून, 2016

विषयः राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने संबंधी कार्य में क्षेत्र से प्राप्त संशोधनों एवं नए व्यक्तियों को डेटाबेस में समाहित करने संबंधी प्रारम्भिक तैयारियों के संबंध में।

महोदय/महोदया,

महारजिस्ट्रार एव जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-9/26/2015-सीआरडी (एनपीआर) दिनांक 12 फरवरी, 2016 (प्रति संलग्न) द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के क्षेत्र कार्य के उपरांत प्राप्त होने वाले संशोधनों एवं नए सदस्यों की सूचनाओं को डेटाबेस में समाहित करने हेतु डाटा सेन्टरों की स्थापना करवाते हुए इस कार्य को 120 दिवसों में पूर्ण करवाने हेतु कार्य पद्धति प्रेषित की गयी है, जो निम्नवत है:-

(1) इस कार्य पद्धति के अनुसार प्रत्येक जिले पर डाटा सेन्टर की स्थापना करवाने हेतु सेवा- प्रदाता (वेंडर) का चयन (टेण्डर द्वारा) किया जाना होगा। इस कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा रू0 4 प्रति रिकार्ड (प्रत्येक उपस्थित निवासी का डाटा हेतु) की दर से तथा अनुपस्थित सदस्यों यथा-बहिर्प्रवासित एवं मृत सदस्य के ऑकडें हेतु रू0 1 प्रति रिकॉर्ड की दर से स्वीकृति दी गयी है। इसमें डाटा केन्द्रों की स्थापना, प्रशिक्षण, आपरेटरों का चयन, आपरेटरों का वेतन, सुपरवाइजरों (पर्यवेक्षकों) का मानदेय सत्यादि सभी खर्चे शामिल हैं।

(2) वेंडर द्वारा पर्याप्त मात्रा में कम्प्यूटर लगाते हुए डाटा सेन्टर स्थापित किया जायेगा जिसमें आपरेटर के प्रशिक्षण की व्यवस्था, पर्यवेक्षकों हेतु अलग से कक्ष और कम्प्यूटर की व्यवस्था, पावर बैकअप, डाटा डाउनलोड हेतु इंटरनेट की सुविधा, इसके अलावा पेयजल, प्रसाधन इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

(3) ऑपरेटरों की संख्या के आंकलन हेतु प्रति ऑपरेटर 200 रिकॉर्ड प्रतिदिन के औसत की दर से जिले की जनसंख्या के सापेक्ष निर्धारण किया जायेगा। कुछ अतिरिक्त ऑपरेटर रिजर्व के रूप में होंगे। ऑपरेटर न्यूनतम 10+2 पास कम्प्यूटर पर हिन्दी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं अंग्रेजी में डाटा एंट्री कर सकने में सक्षम होना चाहिए। वेंडर को ऑपरेटर के वेतन हेतु राज्य की न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन सुनिश्चित करना होगा।

(4) प्रत्येक 5 ऑपरेटर पर एक सुपरवाइजर (पर्यवेक्षक) कार्य करेगा। पर्यवेक्षक राज्य सरकार के उन कर्मियों को बनाया जाना है जिन्हें कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी हो। पर्यवेक्षक द्वारा प्रत्येक ऑपरेटर के 20 प्रतिशत कार्य की गुणवत्ता जॉच की जायेगी। पर्यवेक्षक हेतु मानदेय का प्रावधान है।

(5) ऑपरेटरों द्वारा किए गए डाटाएंट्री के कार्य की गुणवत्ता जॉच के पश्चात पर्यवेक्षक द्वारा ईबी के अंतिम ऑकडों को एनपीआर पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

(6) इस कार्य हेतु सॉफ्टवेयर एनपीआर पोर्टल पर npr-rgi.nic.in के डाउनलोड शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है एवं प्रशिक्षण जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त समस्त कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि सेवा- प्रदाता (वेंडर) के चयन हेतु समस्त औपचारिकताएं जनपद स्तर पर शीघ्र पूर्ण कर ली जाएँ एवं यह तैयारी पूर्ण होने की सूचना नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन को एवं जनगणना कार्य निदेशालय, लखनऊ को एक पक्ष में प्रेषित कर दी जाये जिससे आपके जनपद में प्रशिक्षण हेतु अधिकारियों एवं मास्टर- ट्रेनरों की टीम को भेजा जा सके। इस कार्य हेतु बजट आवंटन का आदेश पृथक से जारी किया जायगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(अरूण कुमार सिन्हा)
प्रमुख सचिव।

संख्या-48/2016/1144 (1)/35-3-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए मानसिंह रोड,नई दिल्ली-110011
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त निदेशक,जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं0-डीसीओ-यूपी/35-2016/एनपीआर-236, दिनांक 11 मई, **2016** के संदर्भ में।

आज्ञा से

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shas nadesh.up.nic.in